| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी / टीए / 3648 / 2014 / अलवर**<br>**नन्दराम व अन्य बनाम राजीबाई व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकलपीठ**

**श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य**

**उपस्थित :**

श्री अविनाश माथुर, अभिभाषक प्रार्थीगण

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित

——

**निर्णय**

**दिनांकः— 10.04.2026**

यह निगरानी अंतर्गत धारा 230 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय सहायक जिलाधीश (फास्ट ट्रेक) किशनगढ़बास जिला अलवर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 163 / 2009 बउनवानी नन्दराम बनाम झामनमल में पारित आदेश 18.06.2014 के विरूद्ध पेश की गई है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़बास, जिला अलवर के न्यायालय में विवादित आराजियात बाबत् पेश किया । उक्त वाद प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया किन्तु बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2010 के द्वारा वादी का वाद डिक्री किया । अधी0न्याया0 के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 मय धारा 5 मियाद अधि0 का अधी0न्याया0 के समक्ष पेश कर एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 18.06.2014 के द्वारा अधी0न्याया0 द्वारा पारित एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 22.

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी / टीए / 3648 / 2014 / अलवर**<br>**नन्दराम व अन्य बनाम राजीबाई व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 03.2011 एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2010 को निरस्त कर दिया। अधी0न्याया0 के उक्त आदेश दिनांक 18.06.2014 के विरूद्ध प्रार्थी ने यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की है ।<br>प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।<br>अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 18.06.2024 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण असल को वाद का नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. उनके महाराष्ट्र के पते पर जारी किया गया था जो उन पर तामील हुआ था किन्तु न्यायालय ने बिना कोई जांच किये इसे विधिवत् तामील नहीं मानकर एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करने में त्रुटि कारित की है । अप्रार्थीगण को अधी0न्याया0 द्वारा जारी नोटिस तामील हो गये थे इसके बावजूद जानबूझकर अधी0न्याया0 में उपस्थित नहीं हुए । अधी0न्याया0 ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल लाते हुए एकतरफा में वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के प्रावधानों के अनुसार अगर नोटिस तामील में कोई अनियमितता रहती है तो ऐसी अनियमितता के आधार पर एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री अपास्त नहीं की जा सकत है । अधी0न्याया0 ने आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर आक्षेपित आदेश पारित किया है । बहस में आगे कथन किया कि एकतरफा निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पेश करने की मियाद 30 दिवस है जबकि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2010 के विरूद्ध दिनांक 30.08.2010 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो निर्धारित मियाद अवधि के पश्चात् पेश किया गया था जिससे भी उक्त प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज योग्य था । | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी / टीए / 3648 / 2014 / अलवर**<br>**नन्दराम व अन्य बनाम राजीबाई व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अधी0न्याया0 को सर्वप्रथम मियाद बिन्दु को निर्धारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने मियाद बिन्दु को नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 18.06.2014 निरस्त किया जावे तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2010 बहाल रखा जावे ।<br>हमनें प्रार्थी के विद्वान अधिवक्तागण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।<br>पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रार्थी / वादी ने वर्तमान अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय सहायक जिलाधीश (फास्ट ट्रेक) किशनगढ़बास के समक्ष विवादित आराजियात बाबत् एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया । अधी0न्याया0 ने प्रार्थी / वादी का वाद दिनांक 31.03.2010 को एकतरफा में डिक्री किया है । अप्रार्थीगण ने उक्त एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2010 को निरस्त कराने हेतु अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 30.08.2010 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 का मय धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र सहित पेश किया । वर्तमान प्रार्थी / वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर कथन किया गया कि अधी0न्याया0 द्वारा जारी रजिस्टड डाक प्रतिवादीगण के स्थायी पते पर भेजी गई थी जो बाद तामील अधी0न्याया0 में लौटकर आयी है। इसके बावजूद प्रतिवादीगण अधी0न्याया0 के समक्ष के समक्ष उपस्थित होकर वाद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए है। अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पर उभयपक्ष की बहस सुनकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 को अपने आदेश दिनांक 18.06.2014 के द्वारा इस आधार पर स्वीकार किया है कि–**" हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने झामनमल को प्रतिवादी नं0 1 दर्ज कर वाद दिनांक 27.07.2009 को दायर किया है, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र झामनदास** | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी / टीए / 3648 / 2014 / अलवर**<br>**नन्दराम व अन्य बनाम राजीबाई व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**से जाहिर है कि उसकी मृत्यु वाद दायरी से पूर्व ही दिनांक 25.01.1995 को हो चुकी थी । इसी प्रकार वाद में दर्ज प्रतिवादी संख्या 3 का पता वादी ने गली नं0 3 कॉलोनी कंवर नगर अमरावती, महाराष्ट्र दर्ज किया है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति राशनकार्ड के अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 का पता दस्तूर नगर अमरावती, महाराष्ट्र है । इसी प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदों में दो पक्षकारान के नाम भी गलत अंकित है । विधिनुसार मृतक प्रतिवादी के विरूद्ध पारित निर्णय व डिक्री प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है ।**'' प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु वाद दायरी से पूर्व होने से भी मृतक की तामील होना नहीं माना जा सकता है । इन तथ्यों से यह भलीभांति जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण को विधिवत् सम्यक तामील नहीं हुई थी । उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्यों से होने के उपरांत ही अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही तथा एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2010 को अपास्त कर वाद को पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज योग्य पायी जाती है ।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), किशनगढ़–बास, जिला अलवर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 18.06.2014 यथावत् रखा जाता है।

तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य